झारखण्ड विधान सभा

सत्यमेव जयते

झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2017

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2017

[सभा द्वारा यथापारित]

प्रस्तावनाः-

भारतीय संविधान के 74वें संशोधन (संविधान (74 वेंसंशोधन) अधिनियम, 1992) के आलोक में झारखण्ड राज्य के शहरी स्थानीय निकायों, यथा-नगर निगमों, नगर परिषदों, नगर पंचायतों में विभिन्न स्तरों पर नगरीय स्वशासन में भागीदारी, विकेन्द्रीकरण, स्वायत्तता और जवाबदेही के आधार पर झारखण्ड राज्य में नगरपालिका शासन से संबंधित विधियों में समेकन और संशोधन करने, नगरपालिकाओं के वित्तीय प्रबंधन तथा लेखा-पद्धति, आन्तरिक संसाधन की उत्पादन क्षमता एवं उनके सांगठनिक ढांचे में सुधार लाने आदि के लिए झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम, 07, 2012) झारखण्ड राज्य में 09 फरवरी, 2012 से प्रवृत है।

विभिन्न कार्यों के सुचारू संपादन के निमित्त झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की कतिपय धाराओं में संशोधन की आवश्यकता है, ताकि वर्तमानआवश्यकताओं के अनुरूप अधिनियम में वांछित संशोधन लाते हुए शहरी स्थानीय निकाय के बहुआयामी कार्यों का निष्पादन किया जा सके।

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम, 07, 2012) का संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के 68वें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार एवं प्रारंभः-
   (i) यह अधिनियम "झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2017" कहा जायेगा।
   (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
   (iii) यह राजकीय गजट/ई-गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगा।
2. अध्याय-1 की धारा-2 की उपधारा-21 के पश्चात्, उपधारा-21A निम्नवत् सम्मिलित किया जाता है-
   "उम्मीदवार" से (महापौर/अध्यक्ष/उप महापौर/उपाध्यक्ष के निर्वाचन के मामले में) अभिप्रेत है ऐसे "उम्मीदवार" जो राजनीतिक दलों द्वारा प्रायोजित है।
3. अध्याय-1 की धारा-2 की उपधारा-101 के पश्चात्, उपधारा-102 निम्नवत् सम्मिलित किया जाता है-
   "दल/पार्टी चिन्ह" से (महापौर/अध्यक्ष/उप महापौर/उपाध्यक्ष के निर्वाचन के मामले में) अभिप्रेत है ऐसा चिन्ह जो किसी राजनीतिक दल विशेष को चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश-1968 के अधीन आवंटित किया गया हो।
4. अध्याय-1 की धारा-2 की उपधारा-102 के पश्चात्, उपधारा-103 निम्नवत् सम्मिलित किया जाता है-
   "राजनीतिक पार्टी/दल" से (महापौर/अध्यक्ष/उप महापौर/उपाध्यक्ष के निर्वाचन के मामले में) अभिप्रेत है, ऐसा "राजनीतिक दल" जो "राष्ट्रीय दल अथवा राज्यस्तरीय दल" जो चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश-1968 के पारा-7 में परिभाषित है।
5. अध्याय-1 की धारा-2 में उपधारा (101) के रूप में "विभाग" से तात्पर्य नगर विकास एवं आवास विभाग है; जोड़ा जाता है।
6. अध्याय-3 की धारा-18 (2) को संशोधित करते हुए निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता हैः-
   "यदि किसी स्तर पर, ऐसा कोई प्रश्न उठे कि नगरपालिका का कोई सदस्य निर्वाचन के पूर्व या निर्वाचित होने के पश्चात् उपधारा (1) में, उल्लिखित निरर्हताओं के अध्यधीन है, तो ऐसे सदस्य की निरर्हता के मामले पर विभाग के द्वारा समीक्षोपरांत अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
   परंतु यह कि ऐसे सदस्य की निरर्हता के मामले पर विभाग के द्वारा लिए गये अंतिम निर्णय के संसूचन के पूर्व, इस पर राज्य निर्वाचन आयोग की राय ली जायेगी।
   परंतु यह भी कि एक पक्ष के अन्दर राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कोई सूचना नहीं दिए जाने पर यह समझा जायेगा कि राज्य निर्वाचन आयोग को इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं है।"
7. अध्याय-4 की धारा-26(5) के पश्चात् एक नयी धारा-26(6) सम्मिलित किया जाता है-

धारा-26(6)-महापौर और अध्यक्ष का निर्वाचन राजनैतिक दल के आधार पर किया जाएगा तथा दलगत आधार पर महापौर/अध्यक्ष निर्वाचन हेतु अभ्यर्थियों द्वारा संबंधित राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह प्रयोग में लाया जाएगा।

8. अध्याय-4 की धारा-28 में वर्णित प्रावधान को विलोपित करते हुए उसके स्थान पर उपधारा-1 से उपधारा-6 निम्नवत् प्रख्यापित किया जाता है:-

(1) उप महापौर तथा उपाध्यक्ष नगरपालिका क्षेत्र के समस्त निर्वाचकों द्वारा निर्वाचित किए जायेंगे।

(2) पार्षदों के निर्वाचन/अयोग्यता/वापसी से संबंधित इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्ध आवश्यकपरिवर्तन सहित उप महापौर तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन/अयोग्यता/वापसी के संबंध में लागू होंगे।

(3) यदि किसी सामान्य निर्वाचन में कोई व्यक्ति उप महापौर तथा उपाध्यक्ष तथा पार्षद दोनों के लिए निर्वाचित होता है, वह उप महापौर तथा उपाध्यक्ष निर्वाचित होने की तिथि से पार्षद नहीं रह जायेगा।

(4) उप महापौर तथा उपाध्यक्ष गोपनीयता की शपथ लेने के बाद अपने पद को ग्रहण करेंगे।

(5) उप महापौर तथा उपाध्यक्ष की पदावधि परिषद की पदावधि की सह-विस्तारी होगी।

(6) उप महापौर और उपाध्यक्ष का निर्वाचन राजनैतिक दल के आधार पर किया जाएगा तथा दलगत आधार पर उप महापौर/उपाध्यक्ष निर्वाचन हेतु अभ्यर्थियों द्वारा संबंधित राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह प्रयोग में लाया जाएगा।

9. अध्याय-7 की धारा 63 (4) को संशोधित करते हुए निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"नगरपालिका लोकपाल की नियुक्ति पाँच वर्ष की अवधि के लिए की जायेगी।"

10. अध्याय-17 की धारा-153 (1 से 6) को विलोपित किया जाता है।

11. अध्याय-18 की धारा-169 (1 से 5) को विलोपित किया जाता है।

12. अध्याय-28 की धारा-268 (1)(क) को विलोपित किया जाता है।

13. अध्याय-28 की धारा 268 के पश्चात् एक नई धारा-268-अ प्रख्यापित की जाती है:-

धारा-268 अ- झारखण्ड नगरीय जल संरक्षण एवं पेयजल नियामक प्राधिकार की स्थापना शक्तियाँ, कार्य और कर्तव्य:-

(क) राज्य सरकार नगरीय जल संरक्षण एवं पेयजल नियामक प्राधिकार के गठन संबंधी अधिसूचना जारी कर सकेगी।

(ख) प्राधिकार एक निगमित निकाय होगा।

(ग) प्राधिकार में राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित एक अध्यक्ष और दो से अनधिक सदस्य होंगे।

(घ) प्राधिकार के शक्तियाँ, कार्य और कर्तव्य निम्नलिखित होंगे:-

(i) झारखण्ड राज्य के अंतर्गत सभी नगरों में निवास करने वाले आमजनों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के निमित्त सरकार समय-समयपर वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए आवश्यक कदम सुनिश्चितकराना।

(ii) उपलब्ध भू-गर्भीय जल संसाधनों के स्त्रोतों के संरक्षण के साथ-साथ सतही जलस्तर को बढ़ाने के लिए सार्थक प्रयास कराने के निमित्त सरकार को सलाह देना।

(iii) भूमि के उपरी भाग पर सतही जल स्तर (Upgradation of surface water) को उपर उठाने हेतु (Rain water harvesting, water recharge and conservation of surface water) वर्षा जल के संरक्षण के निमित्त सरकार को सलाह देना एवं मानक तय करना।

(iv) जल स्त्रोतों में जलउन्नयन (Water recharge) करना तथा जल के विनियमन के निमित्त सरकार को सलाह देना।

(v) शहर के प्रक्षेत्र में आनेवाली नदियों, तालाबों एवं अन्य स्त्रोतों के जल को पीने लायक रखने हेतु इससे संबंधित या अनुषांगिक अन्य प्रयोजनों के लिए सतत् और वैज्ञानिक जल प्रबंधन सुनिश्चित कराने की व्यवस्था हेतु सरकार को सलाह देना।

(vi) शहरी क्षेत्र में जल के अपव्यय को रोकने हेतु सलाह देना।

(vii) जल संयोजन तथा जलापूर्ति की सेवा के बदले प्राप्त होनेवाले जल शुल्क की प्राप्ति को शत-प्रतिशत घरों से वसूल करने के निमित्त सरकार को सलाह देना ताकि यह राज्य के सभी निकायों में लागू हो सके एवं निकायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाते हुए राजस्व को बढ़ाना।

(viii) जल प्रबंधन एवं इसके समुचित उपयोग के निमित्त जनजागरूकता आदि का कार्य करना।

(ix) समय-समयपर जलदर जल शुल्क/टैरिफ को लागत एवं सेवा के स्तर के अनुसार संशोधित करते हुए इसके लागू करने में होनेवाले व्यय, भविष्य में सेवा के स्तर को निरन्तर रखने हेतु, सरकार, नगर निकायों एवं आमजनों की राय प्राप्त करते हुए लागू कराने में सहायता करना।

(x) घरेलू जलापूर्ति, उद्योग एवं अन्य व्यवसायों में प्रयुक्त सतही एवं भू-गर्भीय जल के प्रयोग हेतु जलटैरिफ को निर्धारित एवं नियमित करना,

(xi) बहुउद्देशीय जल परियोजना के उचित संचालन और रख-रखाव (ओ एवं एम) की लागत का निर्धारण करना।

(xii) जलापूर्ति क्षेत्र की लागत एवं राजस्व संग्रहण का समय-समयपर पुनरीक्षण एवं मॉनिटरिंग करना।

(xiii) जलसंतुलन के लिए कार्य करना।

(xiv) गैर राजस्व जलापूर्ति को कम करना।

(xv) सभी घरों में जल से संबंधित मीटर लगाना सुनिश्चित करना एवं इसके लिए प्रोत्साहित करना।

(xvi) प्रत्येक वर्ष जल अंकेक्षण कराना तथा जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

14. अध्याय-39 की धारा 427 को संशोधित करते हुए निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

1. उपधारा (5) (क) (iii):-"दुर्बल आय वर्ग तथा अल्प आय वर्ग के लिए आरक्षित भू-खण्ड का आकार क्रमशः तीस वर्ग मीटर एवं साठ वर्ग मीटर से कम नहीं होगा।"

2. उपधारा (5) (ख) (i):-तीन हजार वर्ग मीटर अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल के भू-खण्ड पर निर्मित किये जाने वाले समस्त समूह आवासीय भवनों में अनुमान्य फर्श क्षेत्रफल का दस प्रतिशत अथवा कुल निर्मित किये जाने वाले भवन ईकाईयों का बीस प्रतिशत दुर्बल आय वर्ग तथा अल्प आय वर्ग के लिए आवासीय इकाई के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।"

3 उपधारा (5) (ख) (iii):-दुर्बल आय वर्ग के लिए आरक्षित ईकाई कार्पेट एरिया सत्ताइस वर्ग मीटर से कम तथा तीस वर्ग मीटर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार अल्प आयवर्ग के लिए तीस वर्ग मीटर से कम तथा साठ वर्ग मीटर से अधिक नहीं होगा।"

15. अध्याय-39 की धारा 435 को संशोधित करते हुए निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-
विभाग द्वारा अनुज्ञप्त वास्तुविदों की पंजी संधारित करना।

1. उपधारा (1):-"विभाग के स्तर पर ऐसे अनुज्ञप्त वास्तुविदों की एक पंजी संधारित की जायेगी, जो भवन निर्माण के लिए पाँच सौ वर्ग मीटर तक के भू-खण्ड पर व्यक्तिगत आवासीय भवन योजना या वर्तमान भवन के परिवर्तन या परिवर्धन या रूपान्तरण को अनुमोदित करने वाले अथवा अन्य सभी प्रकार के भवन योजना या वर्तमान भवन के परिवर्तन या परिवर्धन या रूपांतरण करने हेतु भवन नक्शा तैयार कर प्रस्तुत/हस्ताक्षर करने अथवा अन्य संबंधित कार्यों हेतु प्राधिकृत अनुज्ञप्त वास्तुविद् माने जायेंगे।"

2. उपधारा (2):-"विभाग की पंजी में शामिल होने की इच्छा रखने वाला प्रत्येक अनुज्ञप्त वास्तुविद, अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव या प्राधिकृत पदाधिकारी को, पांच हजार रूपया शुल्क के साथ, एक आवेदन करेगा।

परंतु यह कि विभाग के द्वारा प्रत्येक चार वर्ष की अवधि पर अनुज्ञप्ति शुल्क की राशि को बढ़ाया जा सकेगा।"

3. उपधारा (3):- "वास्तुविदों को अनुज्ञप्त करने के लिए विभाग के द्वारा योग्यताएं तथा अन्य अपेक्षाएं विहित की जायेगी।"

4. उपधारा (4):- "ऐसा आवेदन करने पर, अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव या प्राधिकृत पदाधिकारी, संतुष्ट होने पर कि आवेदक अनुज्ञप्त वास्तुविद के लिए योग्य है, विभाग के अनुज्ञप्त वास्तुविदों की पंजी में उसका नाम दर्ज करेगा।"

5. उपधारा (5):-"प्रत्येक अनुज्ञप्त वास्तुविद, जो इस अधिनियम के संशोधन होने की तिथि को या पहले, राज्य के किसी विकास प्राधिकार/निकाय के साथ निबंधित/सूचीबद्ध है, तो वह प्राधिकार/निकाय में निबंधन अवधि (तिथि) तक विभाग के लिए अनुज्ञप्त समझा जायेगा।

परन्तु यह और कि इस संशोधन के प्रवृत होने के बाद केवल ऐसे वास्तुविद ही भवन निर्माण योजना स्वीकृत करने अथवा स्वीकृति हेतु भवन नक्शा तैयार कर प्रस्तुत/हस्ताक्षर करने अथवा अन्य संबंधित कार्यों हेतु पदवी धारक होगें जिनका नाम विभाग के अनुज्ञप्त वास्तुविदों की पंजी में निबंधित हो। विभाग वास्तुविद की सूचीबद्धता हेतु नोटिस बोर्ड तथा समाचार पत्रों के माध्यम से आम सूचना जारी करेगा।"

6. उपधारा (6):-"अनुज्ञप्त वास्तुविद की अनुज्ञप्ति की वैधता दो वर्षों के लिए होगी, जिसके पश्चात पुनः इस धारा की कण्डिका (2) यथा संशोधित में, यथा निर्धारित शुल्क देकर अनुज्ञप्ति नवीकरण करा सकेगा।"

16. अध्याय-47 की धारा 606 अन्तर्गत शब्द समूह "मार्ग का अतिक्रमण" को संशोधित करते हुए "नगरपालिका की सम्पति का अतिक्रमण" प्रतिस्थापित किया जाता है।

17. अध्याय-47 की धारा-606 (1) को संशोधित करते हुए निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"कोई भी व्यक्ति, नगरपालिका के ऐसे पदाधिकारी की विशिष्ट अनुमति के बिना, जिसे ऐसी अनुमति प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो, नगरपालिका की किसी संपत्ति या नगरपालिका में निहित संपत्ति का अतिक्रमण नहीं करेगा या कोई अवरोध पैदा नहीं करेगा। कोई व्यक्ति, जो नगरपालिका की पूर्वोक्त किसीसंपत्तिका ऐसा अतिक्रमण या अवरोध करेगा, दोष सिद्ध होने पर, जुर्माना, जो पाँच हजार रूपये तक हो सकेगा, से दंडनीय होगा।

****

यह विधेयक झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2017 दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्‌भूत हुआ और दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(दिनेश उराँव)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 72--50--22-12-2017